ऑन लाईन नं.GCMS2025/93

ऑन लाईन नं.GCMS2025/93

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 33/2025

श्री कंवरपाल सिंह , खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री वेदप्रकाश तिवाड़ी पुत्र श्री महावीर प्रसाद —(विक्रेता व गाडी मालिक)—

मैसर्स :— मोबाईल ट्रान्सपोर्ट हॉकर (RJ-49-CA-6883) निवासी —सेक्टर नम्बर—5 आंगनवाडी के पास, वार्ड नम्बर—29 नोहर, जिला हनुमानगढ,

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

:: निर्णय :: दिनांक : 06.06.2025

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री कंवर पाल सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश कमांकः—एफएसएसए/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश कमांकः—आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.02.2025 को दोपहर पूर्व 10.10 ए.एम. को दौराने निरीक्षण खालसा एकेडमी स्कूल 6 एलएनपी, टी पॉइन्ट, साधुवाली—नेतेवाला बाईपास श्रीगंगानगर पर पहुंचा, उसी दौरान मोबाईल ट्रान्सपोर्ट हॉकर वेदप्रकाश तिवाडी (RJ-49-CA-6883) निवासी —सेक्टर नम्बर—5 आंगनबाडी के पास, वार्ड नम्बर—29 नोहर, जिला हनुमानगढ निकला। उक्त गाडी का में खाद्य पदार्थ के होने पर उसे रूकवाकर पूछा तो ड्राईवर ने गाडी में पनीर (35 टिक्की लगभग 165 किलोग्राम खुला) दुकानों पर स्पलाई हेतु बेचान बताया। मुझे इसी खाद्य पदार्थ **पनीर (खुला)** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जॉच वास्ते खाद्य पदार्थ **पनीर (खुला)** का नमूना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए .भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गाडी RJ-49-CA-6883 का निरीक्षण कर दुकानों में स्पलाई कर विक्रय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ **पनीर (खुला)** में से 01 किलोग्राम को वजनी कर गाडी मालिक से खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **पनीर (खुला)** का नगद भुगतान 245—रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्तक्षर करने को कहा जिसे श्री वेदप्रकाश तिवाड़ी पुत्र श्री महावीर प्रसाद (विक्रेता व गाडी मालिक) एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक श्री वेदप्रकाश तिवाड़ी पुत्र श्री महावीर प्रसाद (विक्रेता व गाडी मालिक) को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

अति0 जिला कलैक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

ऑन लाईन नं.GCMS2025/93

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **पनीर (खुला)** को एकरूप कर बराबर भागो में बांटकर चार बोतलों में भरकर लिया। प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 20–20 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन बंद किये और चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व कमांक के–2692** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–2692** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर श्री वेदप्रकाश तिवाड़ी पुत्र श्री महावीर प्रसाद (विक्रेता व गाडी मालिक) एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/229/एक्ट/2025/229 दिनांक 06.03.2025 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–2692 **Sub-standard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री वेदप्रकाश तिवाड़ी पुत्र श्री महावीर प्रसाद (विक्रेता व गाडी मालिक) **मोबाईल ट्रान्सपोर्ट हॉकर (RJ-49-CA-6883) निवासी –सेक्टर नम्बर–5 आंगनबाडी के पास, वार्ड नम्बर–29 नोहर, जिला हनुमानगढ** द्वारा **Sub-standard Food, Paneer** का विक्रय किये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 14.05.2025 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया है कि मै जिस क्षेत्र में कार्य करता हूँ वहां गांय का दूध होने के कारण दूध में फेट 3.5 से 4.0 तक होती है जिसके कारण मेरे पनीर में फेट की मात्रा 3.95 प्रतिशत पाई गई है तो इसमें हमारा कोई किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है क्योंकि हमारे क्षेत्र में दूध की फेट की गुणवता यही है। अतः जवाब नोटिस पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी की उपरोक्त जवाब को देखते हुए प्रार्थी के दिये गये जवाब को दाखिल दफतर किया जावें।

अति० जिला कलैक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **पनीर (खुला)** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/229/एक्ट/2025/229 दिनांक 06.03.2025 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–2692 **Sub-standard Food.** होना पाया गया, उक्त जांच रिपोर्ट पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी पर अधिक से अधिक जुर्माना जो धारा 51 में निर्धारित है लगाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि मै जिस क्षेत्र में कार्य करता हूँ वहां गांय का दूध होने के कारण दूध में फेट 3.5 से 4.0 तक होती है जिसके कारण मेरे पनीर में फेट की मात्रा 3.95 प्रतिशत पाई गई है तो इसमें हमारा कोई किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है क्योंकि हमारे क्षेत्र में दूध की फेट की गुणवता यही है। अतः प्रार्थी के नाम जारी नोटिस को दाखिल दफतर किया जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया **Sample of "Paneer" bearing Code No and Sr. No. K-2692, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-standard Food as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Stanadards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations,2011.**की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियक्त श्री वेदप्रकाश तिवाड़ी पुत्र श्री महावीर प्रसाद (विक्रेता व गाडी मालिक) को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त श्री वेदप्रकाश तिवाड़ी पुत्र श्री महावीर प्रसाद (विक्रेता व गाडी मालिक) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 10000–00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में श्री वेदप्रकाश तिवाड़ी पुत्र श्री महावीर प्रसाद (विक्रेता व गाडी मालिक) खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।